बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना सं0–प्र01/आयोग अध्यक्ष चयन–03/2015– 16 पटना, दिनांक:– 31.12.2015

विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा 85 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार एतद् द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) के सदस्य को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित करने के लिए निम्नलिखित चयन समिति का गठन करती है:–

(क) न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री विनोद कुमार सिन्हा – अध्यक्ष

(ख) मुख्य सचिव, बिहार – सदस्य

(ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली – सदस्य

2 सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, चयन समिति के संयोजक होंगे।

3 चयन की प्रक्रिया 3 माह के अंदर पूर्ण किया जाना है।

4 यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(मनोज कुमार सिंह),

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:– प्र01/आयोग अध्यक्ष चयन–03/2015– 6087 पटना, दिनांक:–31.12.2015

प्रतिलिपि:–उप सचिव, प्रेस (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रण हेतु (सी0डी0 एवं दो हॉर्ड प्रति के साथ) प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 10 (दस) प्रतियाँ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

31/12/2015

सरकार के सचिव।